



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

संख्या : 146 /13 /E-02/DR/EO /2022-23

दिनांक : 22 सितम्बर, 2023

### विस्तृत विज्ञप्ति

### अधिकासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा-2023

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग में पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत एवं कर व राजस्व निरीक्षक के कुल 85 रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०:-01/E-02/DR/EO-TRI/2023 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2023 तक आमंत्रित किये गये थे।

2. उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं०-6 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18.09.2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर Online Edit Window लिंक दिनांक 25.09.2023 से दिनांक 04.10.2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक खोला जायेगा, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) लिंक खोला जायेगा।
- (2) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (3) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गयी है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (4) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (5) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (6) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (7) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किन्तु यदि अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्ड्स में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (8) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।

3. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

-Sd/-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।